RB/ESTT. NO. 77/2016

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2015/CFP/12 New Delhi, dated 24.06.2016

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Recommendations of Committee to review the existing channel of promotion for Safaiwalas/Jamadars - Providing adequate improvement opportunities.

The issue of providing adequate improvement opportunities to Safaiwalas was raised in the 44th meeting of PREM Group and also by the staff side in DC/JCM forum. Pursuant to the above, Board had constituted a Committee of five SAG level officers and two representatives from both the Federations viz. AIRF and NFIR, to review the existing channel of promotion for Safaiwalas/Jamadars. The recommendations made by the Committee have been considered in consultation with concerned Directorates. Board's decisions taken thereon are given below in juxtaposition for implementation and compliance by the Zonal Railways:

	Recommendations		**Decision Taken**
(i)	In the Medical Department where strength of Safaiwalas is more, 10% of sanctioned strength of Safaiwalas, including those working in Railway Colonies and Railway Stations with 5 years regular service should be given an option every year to go to other departments in same grade on bottom seniority.	:	Accepted : It may be noted that provision is already in place that Safaiwalas of all departments are eligible to be transferred to the Mechanical Workshop, Works Branch, Traffic and Commercial Deptt. against 10% annual quota of vacancies.

(ii)	In all the departments, Safaiwalas should be included in the cadre of Helper/Khalasis after 5 years of service on bottom seniority and be eligible for further promotion as Technician Gr.III in GP Rs.1900 as per seniority/suitability and their qualifications.	:	Accepted : Technician Grade III in GP Rs.1900 is a skilled grade and 25% of vacancies are filled by direct recruitment, 25% through LDCE from unskilled and semi-skilled staff with educational qualification of course completed Act apprentices or ITI qualified in the relevant trade, and 50% by promotion of staff in lower grade as per prescribed procedure, i.e. on the basis of trade test. Henceforth, in all departments, Safaiwalas should be included in the cadre of Helper/Khalasis after 5 years of service assigning them bottom seniority, and be made eligible for further promotion as Technician Gr.III in GP Rs.1900 as per seniority/suitability and their qualifications.
(iii)	A channel of opportunity should be available to Safaiwalas in various departments where it does not exist so that Safaiwalas of that department can get reasonable chance to appear in the selection for promotion in higher grade pay Rs.1900. This can be decided by the Railways Administration in consultation with their recognized unions.	:	Accepted : Instructions already exist vide Board's letter No. E(NG)I-2010/PM1/22 dated 03.01.2014 that all erstwhile Group 'D' categories in GP Rs.1800, since upgraded as Group 'C', will continue to be eligible for selection to Group 'C' posts as per AVC already provided, if they possess the required eligibility criteria, i.e. prescribed educational qualification and residency period etc. Principally, the recommendation has been accepted and Safaiwalas may be permitted to appear in the selection for GP Rs.1900 in those departments where channel of promotion does not exist. Changes in AVC may be decided, as necessary, in consultation with the recognized Unions.

(iv)	Safaiwalas of all departments should be made eligible to appear in the examination for ministerial staff of all the department against 16-2/3% quota if they have requisite educational qualifications and also in the category of Accounts Clerk in GP Rs.1900 against 8-1/3% LDCE quota and of TC against 16-2/3% quota provided they possess requisite qualification.	:	The recommendation is accepted subject to framing of relevant AVCs by the Railway administration in consultation with their recognized unions subject to such employees passing selection/suitability test and possession of requisite educational qualification.
(v)	Safaiwalas of all the departments may also be considered for selection to the post of Motor Vehicle Driver in all departments if they have requisite educational qualification and having driving license/experience. Selection will be done by trade test.	:	Accepted subject to passing selection/suitability test and possession of Driving License and required educational qualification prescribed for the post.
(vi)	The present system of separate seniority group for Safaiwalas in medical department, i.e. those relating to hospital and that of Railway Colonies/Station should continue.	:	Accepted : Seniority of incumbent may be maintained separately in terms of para 302 and 303 of IREM, Vol.I., 1989 (Revised Edition-1989), First Re-print Edition-2009 by the Railway Administration themselves.

Please acknowledge receipt.

Hindi version shall follow.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)I-2015/CFP/12 New Delhi dated 24.06.2016

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. Adviser(Safety), Railway Board, New Delhi.
14. The Director General & Ex Officio General Manager, RDSO, Lucknow
15. The manager/HRD, Rail Land Development Authority, Near Safdarjung Railway station, Motibagh-1, New Delhi-110021
16. DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Complex, New Delhi-110001.
17. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways(Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.
18. The Chief Mechanical Engineer, Indian Railways Organisation For Alternate Fuels, 12th Floor, Core-1, Scope Minar, District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-92.
19. General Secretary, All India SCs&STs Railway Employees Association, Room No.7(Ground Floor), Rail Bhawan, New Delhi
20. Chief Administrative Officer, Rail Coach Factory/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.
21. Adviser(Projects), Room No.548, M/O Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
22. President, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
23. Executive Director (Innovation), Room No.256, Rail Bhawan.

for Secretary/Railway Board

PSs to MR and MSR

PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary, DG/RHS and DG/RPF..
PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM.(Staff), Adv.(IR) and Adv.(Vig.)

PSs to ED Fin(BC), ED(Safety), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), ED(Projects), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDE(Fin), EDF(B), ED(Planning), ED(RE), ED(Sig), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, EDE(GC), EDRE(S&T), ED(Stat), EDRS(S), ED(Track/MC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(DAv.), EDRE(S), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), JS(E&P) and JS and IG/RPF.

JD(OL), DPC-I, DPC- II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), Dir.(Safety)I, Dir.(Safety)II, Dir.(Safety)III, DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), DME/C&IS, JDE(Rep), JDE(GP), JDE(RRB), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDE(D&A), DDV(A&P), DDE(Rep) I, DDE(Rep)II, DD(OL)I, DD(OL)II, E(D&A), E(GP), E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II , E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), ERB-II, ERB-V, PC-III, PC-IV, PC- V, E(P&A)I, E(P&A) II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III & Code Revision Cell.

आरबी/स्था. सं. 77/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/12 नई दिल्ली, दिनांक 24.06.2016

महाप्रबंधक(पी)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सफाईवालों/जमादारों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए मौजूदा चैनल की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशें।

सफाईवालों को पर्याप्त उन्नति के अवसर मुहैया कराने का मामला प्रेम ग्रुप की 44वीं बैठक में और डीसी/जेसीएम फोरम में भी कर्मचारी पक्ष की ओर से भी उठाया गया। उपर्युक्त के अनुसरण में, बोर्ड ने सफाईवालों/जमादारों की पदोन्नति के मौजूदा चैनल की समीक्षा करने के लिए एसएजी स्तर के पांच अधिकारियों और दोनों फेडरेशनों अर्थात् एआईआरएफ और एनएफआईआर के दो प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर संबंधित निदेशालयों से परामर्श करके विचार किया गया है। बोर्ड द्वारा उन पर लिया गया निर्णय क्षेत्रीय रेलों द्वारा कार्यान्वित और अनुपालन के लिए नीचे आमने-सामने दिया गया है:

	सिफारिशें		लिया गया निर्णय
(i)	चिकित्सा विभाग में जहां सफाईवालों की संख्या ज्यादा है, वहां सफाइवालों, जिसमें रेलवे कॉलोनियों और रेलवे स्टेशनों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, की कुल स्वीकृत संख्या के 10% को 5 वर्ष की नियमित सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष निम्नतम वरिष्ठता में उसी ग्रेड में दूसरे विभागों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए।	:	स्वीकृत : यह ध्यान दिया जाए कि यह पहले से ही प्रावधान है कि सभी विभागों के सफाईवालों की रिक्तियों का 10% वार्षिक कोटा के तहत यांत्रिक वर्कशॉप, निर्माण शाखा, यातायात और वाणिज्यिक विभागों में स्थानांतरण के पात्र होंगे।
(ii)	सभी विभागों में सफाईवालों को 5 वर्ष की सेवा के बाद हैल्पर/खलासी के संवर्ग में निम्नतम वरिष्ठता में शामिल किया जाना चाहिए और वरिष्ठता/उपयुक्तता और उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेड पे ₹ 1900 में तकनीशियन ग्रेड III के रूप में आगे पदोन्नति होने के लिए पात्र होना चाहिए।	:	स्वीकृत : ग्रेड पे ₹ 1900 में तकनीशियन ग्रेड III एक स्किल्ड ग्रेड है और इसकी 25% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं, 25% रिक्तियां पाठ्यक्रम पूरा किए हुए एक्ट अप्रेंटिस की शैक्षणिक योग्यता वाले या संगत ग्रेड में आईटीआई योग्यताप्राप्त अकुशल या अर्द्ध कुशल कर्मचारियों से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, और 50% निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अर्थात् ट्रेड परीक्षा के आधार पर निम्नतर ग्रेड में कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। अब, सभी विभागों में सफाईवालों को 5 वर्ष की सेवा के बाद निम्नतम वरिष्ठता प्रदान करते हुए हैल्पर/खलासी के संवर्ग में शामिल किया जाना चाहिए और वरिष्ठता/उपयुक्तता तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेड पे ₹ 1900 में तकनीशियन ग्रेड

			III के रूप में आगे पदोन्नत करने के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए।
(iii)	सफाईवालों के लिए ऐसे विभिन्न विभागों में, जहां उनके लिए पदोन्नति के अवसर मौजूद नहीं है, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि उस विभाग के सफाईवालों को उच्चतर ग्रेड पे ₹ 1900/- में पदोन्नति के लिए चयन में उपस्थित होने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सके। इस पर अपने मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करके रेल प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।	:	स्वीकृत : बोर्ड के दिनांक 03.01.2014 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2010/पीएम1/22 के तहत अनुदेश पहले से ही मौजूद है कि ग्रेड पे ₹ 1800/- में पूर्ववर्ती सभी ग्रुप 'डी' कोटियों को जिन्हें अब ग्रुप 'सी' के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है वे पहले से मुहैया कराए गए एवीसी के अनुसार यदि वे अपेक्षित पात्रता मानदण्ड अर्थात् निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कार्यकाल अवधि पूरा करते हों तो ग्रुप 'सी' पदों पर चयन के पात्र होंगे। सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और सफाईवालों को उन विभागों में ग्रेड पे ₹ 1900/- के लिए चयन में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है जहां पदोन्नति का चैनल मौजूद नहीं है। मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करके एवीसी में यथाआवश्यक परिवर्तन करने का निर्णय लिया जा सकता है।
(iv)	सभी विभागों के सफाईवालों को यदि उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता हो तो, सभी विभागों में 16-2/3% कोटा के तहत मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए और 8-1/3% एलडीसीई कोटा के तहत ग्रेड पे ₹ 1900/- में लेखा लिपिक के रूप में और 16-2/3% कोटा के तहत टिकट कलक्टर के लिए पात्र कर देना चाहिए, बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता हो।	:	स्वीकृत : यदि कर्मचारी चयन/उपयुक्तता परीक्षा पास करते हैं और उनके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है तो इस सिफारिश को रेलवे प्रशासन द्वारा उनके मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करके संगत एवीसी तैयार किए जाने के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है।
(v)	यदि सफाईवालों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और ड्राइविंग लाइसेंस/अनुभव हो तो उनका मोटर वाहन ड्राइवर के पद के चयन के लिए भी विचार किया जा सकता है। चयन, ट्रेड परीक्षा द्वारा किया जाएगा।	:	स्वीकृत : चयन/उपयुक्तता परीक्षा पास करने और ड्राइविंग लाइसेंस एवं इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होने की शर्त के अध्यधीन इसे स्वीकार किया जाता है।
(vi)	चिकित्सा विभाग अर्थात् जो अस्पताल और रेलवे कॉलोनियों/स्टेशनों से संबंधित हों के लिए सफाईवालों की अलग वरिष्ठता समूह की वर्तमान प्रणाली जारी रहनी चाहिए।	:	स्वीकृत : रेलवे प्रशासन द्वारा स्वय आईआरईएम, वॉल्यूम I, 1989 (संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009 के पैरा 302 और 303 के अनुसार पदधारियों की वरिष्ठता अलग से रखी जाए।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्था. (अराज)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/12 नई दिल्ली, दिनांक 24.06.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां).
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां).
5. सेक्रेटरी जनरल, इण्डियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां).
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनीस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लॉइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
13. सलाहकार (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.
14. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ.
15. प्रबंधक/मानव संसाधन विकास, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, निकट सफदरजंग रेलवे स्टेशन, मोतीबाग-1, नई दिल्ली-110021.
16. डीएफसीसीआईएल, 5वां तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110001.
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेल (कारखाना परियोजनाएं), चैम्बर भवन, जजेज़ कोर्ट रोड, अण्टा घाट, पटना-800 001 (बिहार).
18. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इंडियन रेलवेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स, 12वां तल, कोर-1, स्कोप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.
19. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी एवं एसटी रेलवे इंप्लॉइज एसोसिएशन, कमरा नं. 7 (भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली.
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7.
21. सलाहकार (परियोजनाएं), कमरा नं. 548, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली.
22. अध्यक्ष, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
23. कार्यपालक निदेशक (अभिनवीनता), कमरा नं. 256, रेल भवन.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड